



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 572]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 17, 2011/आश्विन 25, 1933

No. 572]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 17, 2011/ASVINA 25, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2011

सं. 2/2011-नार्कोटिक्स नियंत्रण-1

सा.का.नि. 762(अ).—इस मंत्रालय की अधिसूचना, जिसे सा.का.नि. 702(अ), दिनांक 20 सितम्बर, 2011 के तहत प्रकाशित किया गया था, के पैरा 2(i) को निम्न प्रकार से पढ़ा जाय :

"(i) ऐसे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2010-11 के दौरान मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में अफीम पोस्त की खेती की थी और अफीम की औसत उपज कम से कम 56 कि.ग्रा./हे. सौंपी थी तथा उत्तर प्रदेश राज्य में अफीम पोस्त की खेती की थी तथा अफीम की औसत उपज कम से कम 52 कि.ग्रा./हे. सौंपी थी।"

[फा. सं. 14011/01/2011-एस ओ (स्वापक नियंत्रण-1)
डॉ. कुन्दवी, अवर सचिव (एन सी-1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2011

No. 2/2011-Narcotics Control-1

G.S.R. 762(E). In partial modification of the Ministry's Notification issued *vide* G.S.R. 702(E), dated 20th September, 2011, para 2 (i) of the same may be read as under :

"(i) Cultivators who had cultivated opium poppy during the crop year 2010-11 and tendered an average yield of opium of not less than 56 kg/hectare in the States of Madhya Pradesh and Rajasthan and an average yield of opium of not less than 52 kg/ha in the State of Uttar Pradesh."

[F. No. 14011/01/2011-SO (NC. 1)]

T. KUNDHAVI, Under Secy. (NC. 1)